In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Sumit Kumar s/o Sh. Surinder Kumar aged 35 years, resident of Mohalla Kasakara, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Pooja Devi d/o Sh. Madan Lal aged 31 years, resident of Village Tanhog, P.O. Chakloo, Tehsil & District Chamba (H. P.).

Versus

General Public

Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 21-06-2019 at their place of residence with prevailing rites and customs, but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 16-04-2024 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 15th day of March, 2024.

Seal. Sd/Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Tarun Kumar s/o Sh. Surinder Kumar aged 34 years, resident of Mohalla Kasakara, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Isha Mahajan d/o Sh. Pardeep Mahajan aged 33 years, resident of Mohalla Kasakara, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.).

Versus

General Public

Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 06-02-2022 at their place of residence with prevailing rites and customs, but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 16-04-2024 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 15th day of March, 2024.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Ashutosh Kashyap s/o Sh. Manjeet Nath aged 33 years, resident of Mohalla Mai-Ka-Bag, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Kirti Kumari d/o Sh. Sunil Kumar, resident of Village Kandi, P.O. Bhalei, Tehsil Salooni, District Chamba (H. P.).

Versus

General Public

Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 06-05-2014 at their place of residence with

prevailing rites and customs, but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 20-04-2024 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 20th day of March, 2024.

Seal.

Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

Sd/-

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारा पुत्र सोरमा, निवासी गांव छतकड, डाकघर प्रीणा, उप–तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—–दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में तारा पुत्र सोरमा, निवासी गांव छतकड, डाकघर प्रीणा, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 13—04—1968 को घर पर ही हुआ था परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रीणा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत प्रीणा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16—04—2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि०प्र०)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री मोती, निवासी अलूट, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम ओम प्रकाश है। मेरा नाम ग्राम पंचायत बलेरा व आधार कार्ड में ओम प्रकाश पुत्र पूर्ण चन्द दर्ज है जो सही है लेकिन मेरी मलकीयती भूमि महाल बलेरा, पटवार वृत्त बलेरा में मेरा नाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री मोती दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 16—04—2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

निर्मला देवी पुत्री श्री कैलाश चन्द, गांव मनोता, डाकघर राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रूपणी, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 889/2024, दिनांक 26-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1827, दिनांक 12-02-2024, (2) शपथ-पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रिजस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड, (8) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका निर्मला देवी पुत्री श्री कैलाश चन्द, गांव मनोता, डाकघर राजनगर, ग्राम पंचायत रूपणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म पंजीकरण रिजस्टर में आवेदिका निर्मला देवी पुत्री श्री कैलाश चन्द, गांव मनोता, डाकघर राजनगर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 12-02-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि निर्मला देवी पुत्री श्री कैलाश चन्द, गांव मनोता, डाकघर राजनगर, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 07—11—1969 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपित्त हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपित्त दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित्त न आने की सूरत में आवेदिका निर्मला देवी पुत्री श्री कैलाश चन्द, गांव मनोता, डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, रूपणी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

छमो देवी पुत्री स्व0 श्री चन्द राम, गांव कोटूई, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत हमल, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1071/2024, दिनांक 12-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/4201, दिनांक 26-02-2024, (2) शपथ-पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रिजस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड, (8) वोटर कार्ड जिसमें आवेदिका छमो देवी पुत्री स्व0 श्री चन्द राम, गांव कोटूई, डाकघर पुखरी, ग्राम पंचायत हमल, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म पंजीकरण रिजस्टर में आवेदिका छमो देवी पुत्री स्व0 श्री चन्द राम, गांव कोटूई, डाकघर

पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 26—02—2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि छमो देवी पुत्री स्व0 श्री चन्द राम, गांव कोटूंई, डाकघर पुखरी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 15—12—1948 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपित हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में आवेदिका छमो देवी पुत्री स्व0 श्री चन्द राम, गांव कोटूंई, डाकघर पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सिवव, हमल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।
